[2018] 13 एस. सी. आर 603

गंगाप्पा और ए. एन. आर.

वी.

फेकिरापा

(2018 की सिविल अपील संख्या 11932)

14 दिसंबर, 2018

[अशोक भूषण और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

कर्नाटक स्टाम्प अधिनियम, 1957-एस. एस. 33 , 34 और 38-अपीलार्थी वादी ने प्रतिवादी-प्रतिवादी के साथ बेचने के लिए समझौते किए

- अपीलार्थियों ने अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे दायर किए -

प्रधान सिविल न्यायाधीश ने वादियों द्वारा घाटे के शुल्क और जुर्माने का भुगतान करने के निर्देश के साथ मुकदमों में वादी द्वारा दायर बिक्री के लिए समझौतों को जब्त कर लिया-विचाराधीन बिक्री के लिए समझौतों को घाटे के शुल्क और जुर्माने के भुगतान पर साक्ष्य में स्वीकार किया गया था जो दोनों मुकदमों में घाटे के शुल्क से दोगुना था-प्रतिवादी ने रिट याचिका दायर की-उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को घाटे के शुल्क के 10 गुना पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया-स्वामित्व-आयोजितः धारा 33 और 34 स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि लगाया गया जुर्माना उच्च न्यायालय का 10 गुना होना चाहिए।

एस के प्रावधानों की सही व्याख्या की गई। 33 विवादित निर्णय में-अधिकार को जब्त करने के लिए कोई विवेकाधिकार निहित नहीं है

शुल्क एकत्र करने के मामले में दस्तावेज़ यू / धारा 33-तथापि, वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय का आदेश 22.04.2013 पर यथाशीघ्र पारित किया गया था, अर्थात पाँच वर्ष से अधिक पूर्व-दस्तावेजों को ज़ब्त करने और जुर्माना लगाने को ध्यान में रखते हुए, मुकदमा आगे नहीं बढ़ा होना चाहिए, और यह अंतिम चरण में होना चाहिए-अपीलार्थी को जुर्माने का 10 गुना जमा करने के लिए कहना और उसके बाद उप-कलेक्टर की अधिकारिता का उपयोग करना। धारा 38 जुर्माने की वापसी के लिए एक ऐसी कार्यवाही होगी जिसमें फिर से काफी समय लगेगा-वर्तमान मामले के तथ्यों में, दोहरे जुर्माने के साथ घाटे के शुल्क के भुगतान की पुष्टि करके मामले को बंद करने में न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाना चाहिए।

ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाया गया।

कर्नाटक स्टाम्प अधिनियम, 1957-एस. एस. 38 , 39- उपायुक्त के विवेक पर चर्चा की गई।

कर्नाटक स्टाम्प अधिनियम, 1957-एस. एस. 33 और 39-चर्चा की गई-वस्तु के बीच विरोधाभास।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 कानून में यह परिकल्पना की गई है कि जब उचित शुल्क या उसके कम हिस्से की राशि का 10 गुना

पाँच रुपये से अधिक, ऐसे शुल्क या हिस्से के 10 गुना के बराबर राशि जुर्माना है। धारा 34, कर्नाटक की भाषा

स्टाम्प एक्ट, 1957 जुर्माने की एक सपाट दर प्रदान करता है जब उचित शुल्क की राशि पांच रुपये से अधिक होती है यानी ऐसे शुल्क या शुल्क का 10 गुना।

भाग। धारा 34 की भाषा में स्पष्ट विरोधाभास है।

और 1957 के अधिनियम की धारा 39। धारा 39 (1) (बी) इंगित करती है कि यदि उपायुक्त की राय है कि ऐसा लिखत है -

शुल्क के साथ प्रभार्य और विधिवत मुहर नहीं लगी है, इसके लिए पांच रुपये के जुर्माने के साथ उचित शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। प्रावधान के बाद के भाग में कहा गया है कि "या यदि वह उचित समझता है कि उचित शुल्क की राशि या उसके कम हिस्से की दस गुना से अधिक राशि उचित नहीं है, तो क्या ऐसी राशि पांच रुपये से अधिक है या उससे कम है"। इस प्रकार, उपायुक्त को विवेकाधिकार प्रदान किया गया है जो "यदि वह उचित समझता है" शब्दों से स्पष्ट है। उपायुक्त को शुल्क की राशि या उसके हिस्से का 10 गुना या उससे कम जुर्माना लगाने का विवेकाधिकार है। धारा 33 और 39 के तहत शक्ति के बीच स्पष्ट विरोधाभास है। इस तरह के उद्देश्य और उद्देश्य

अधिकारीगण। सभी को शुल्क या घाटे के हिस्से का 10 गुना जुर्माना लगाना पड़ता है, अगर यह पांच रुपये से अधिक है। यह प्रावधान किसी भी न्यायिक प्रक्रिया को लागू किए बिना 10 बार का निश्चित जुर्माना लगाने में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से है। दंड की मात्रा निर्धारित करना। कानून उपायुक्त को विवेकाधिकार देता है जो किसी जिले के राजस्व प्रशासन के प्रभारी अधिनियम द्वारा परिकल्पित प्राधिकरण है। [पारस 12-14] [609-F-H; 610-B-G]

1.2 धारा 37 के तहत शुल्क और जुर्माने की राशि उपायुक्त को भेजी जानी चाहिए। डिप्टी

धारा 38 के तहत आयुक्त को किसी भी जी. ए. एन. जी. ए. पी. ए. और ए. एन. आर. को वापस करने का अधिकार है।

वी. फेकिरापा

पाँच रुपये से अधिक के जुर्माने का हिस्सा जो ऐसे लिखत के संबंध में भुगतान किया गया है। धारा 38 उप-धारा (1)

पुनः "यदि वह उचित समझता है" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। इस प्रकार, ऐसे मामलों में जहां 10 बार का जुर्माना लगाया गया है, उपायुक्त किसी विशेष मामले के तथ्यों में जुर्माने की वापसी का निर्देश देने का विवेकाधिकार है। धारा 38 के तहत जुर्माने को वापस करने की शक्ति स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि विधायिका ने कभी भी इस बात पर विचार नहीं किया है कि सभी मामलों में 10 गुना तक के जुर्माने को अंततः प्राप्त किया जाना चाहिए। यद्यपि प्रक्रियात्मक भाग जो प्रदान करता है

ज़ब्त करना और कर्तव्य और जुर्माने की प्राप्ति धारा 33 के तहत 10 गुना से कम जुर्माना लगाने के लिए कोई विवेकाधिकार नहीं देती है, हालांकि, जब धारा 38 के प्रावधान को पढ़ा जाता है, तो उपायुक्त को जुर्माना वापस करने के लिए दिया गया विवेकाधिकार धारा 39 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के समान है, जहां जुर्माना निर्धारित करते समय वह 10 गुना से कम जुर्माना लगा सकता है। [पारस 15,16] [611-ए-एफ]

1.3 उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में धारा 33 के प्रावधानों की सही व्याख्या की। कोई विवेक नहीं है धारा 33 के तहत शुल्क एकत्र करने के मामले में दस्तावेज़ को जब्त करने का अधिकार निहित है। उक्त में प्रयुक्त शब्द

1.4 निचली अदालत का आदेश पांच साल से भी पहले 22.04.2013 पर पारित किया गया था। दस्तावेजों को जब्त करने और जुर्माना लगाने के मद्देनजर, मुकदमा आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था, और यह सीमा स्तर पर होना चाहिए; अपीलार्थी को जुर्माने का 10 गुना जमा करने के लिए कहना और उसके बाद धारा 38 के तहत उप-कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र को जुर्माना वापस करने के लिए बुलाना एक ऐसी कार्यवाही होगी जिसमें फिर से काफी समय लगेगा। वर्तमान मामले के तथ्यों में, निचली अदालत द्वारा लगाए गए दोहरे जुर्माने के साथ घाटे के शुल्क के भुगतान की पुष्टि करके मामले को समाप्त करने में न्याय का उद्देश्य पूरा किया जाएगा, जो डिप्टी से संपर्क करने की कार्यवाही को रोक देगा। धारा 38 के तहत जुर्माने में कमी के लिए आयुक्त, जो वर्तमान मामले के तथ्यों में और निचली अदालत द्वारा उल्लिखित कारणों के लिए जुर्माने की वापसी/कमी के लिए एक प्रासंगिक विचार था। [पारस 19,20] [612-एच; 613-डी-ई]

दिगंबर वार्टी और अन्य बनाम। जिला पंजीयक,

बैंगलोर शहरी जिला और एक अन्य आईएलआर 2013 केएआर

2099 - स्वीकृत किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 11932

कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 1 से, धारवाड़ पीठ ने 2013 की रिट याचिका संख्या 78721 में। शरणगौड़ा पाटिल, सुश्री सुप्रिता शरणगौड़ा, मैसर्स एस-लीगल एसोसिएट्स, एड. अपीलार्थियों के लिए।

गौरव अग्रवाल, एम. खैराती, इरशाद अहमद, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. 1. यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ के फैसले के खिलाफ दायर की गई है।

17.07.2014 इसमें प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करना।

2. इस पर निर्णय लेने के लिए मामले के संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है।

अपील इस प्रकार हैः

अपीलार्थी/वादी ने प्रतिवादी दिनांकित 12.04.2005 और 16.05.2006 के साथ बेचने के लिए समझौते किए और

रुपये. 1,40,000/- का भुगतान किया गया था। अपीलार्थियों ने मुकदमा No.863 दाखिल किया 2008 और 2008 का सूट No.864 अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रतिवादी की बहन द्वारा 2008 का O.S.No.327 होने के कारण दायर एक अन्य मुकदमे को भी जोड़ दिया गया था। प्रधान सिविल न्यायाधीश ने समझौतों को जब्त कर लिया

वादी द्वारा 2008 के वाद Nos.863 और 864 में वादी को दिनांक 27.09.2010 के आदेश के माध्यम से घाटे के शुल्क और जुर्माने का भुगतान करने के निर्देश के साथ दायर बिक्री करना।

वादी ने रिट याचिका Nos.69264-65/2010 और 69263/2010 के माध्यम से आदेश को चुनौती दी, जिसे उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 14.03.2013 के फैसले के माध्यम से निपटाया था, जिसमें प्रधान सिविल न्यायाधीश को वादी को लिखित प्रस्तुतियाँ देने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, प्रधान सिविल न्यायाधीश ने 22.04.2013 दिनांकित एक आदेश पारित किया जिसके द्वारा विचाराधीन बिक्री के समझौतों को साक्ष्य में स्वीकार किया गया और

2008 के O.S.Nos.863 और 864 में वादी के लिए घाटे के शुल्क और जुर्माने के भुगतान पर चिह्नित किया गया। दोनों मुकदमों में घाटा शुल्क क्रमशः Rs.12013/- और Rs.20320/- के रूप में निर्धारित किया गया था और लगाया गया जुर्माना था

दोनों मुकदमों में घाटे के शुल्क का दोगुना।

3. प्रधान सिविल न्यायाधीश के फैसले से व्यथित, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने दिगंबर वार्टी और अन्य बनाम जिला गंगाप्पा और ए. एन. आर. में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए रिट याचिका का निपटारा किया।

वी. फकीराप्पा [अशोक भूषण, जे.]

पंजीयक, बैंगलोर शहरी जिला और दूसरा, आई. एल. आर. 2013 के. ए. आर. 2099। उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों को आई. एल. आर. 2013 के. ए. आर. 2099 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार घाटे के शुल्क के 10 गुना पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित

यह अपील अपीलार्थियों द्वारा दायर की गई है।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने 10 बार जुर्माने के भुगतान का निर्देश देने में त्रुटि की है। निचली अदालत ने घाटे के शुल्क और जुर्माने को 2 गुना की दर से भुगतान करने का निर्देश दिया है जो एक न्यायसंगत और उचित आदेश था। अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब उपायुक्त शुल्क की राशि के 10 गुना से अधिक के जुर्माने को कम नहीं कर सकता है, तो निचली अदालत को भी कमी और जुर्माने का निर्धारण करते समय ऐसा विवेकाधिकार होगा। निचली अदालत ने दो बार जुर्माना लगाकर विवेक का सही उपयोग किया है।

5. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि उपकरणों पर विधिवत मुहर नहीं लगी थी। अपर्याप्तता को स्वीकार करते हुए

मोहर लगे दस्तावेजों पर जुर्माना लगाते समय निचली अदालत को कोई विवेकाधिकार नहीं होता है। कानून अर्थात कर्नाटक स्टाम्प अधिनियम, 1957 की धारा 34 में 10 गुना की दर से दंड का आदेश दिया गया है। दिगंबर वार्टी और अन्य (ऊपर) मामले में उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने धारा 34 की सही व्याख्या करते हुए कहा है कि न्यायालय को जुर्माने को 10 गुना से कम करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त खंड पीठ के फैसले का उचित रूप से पालन किया है।

7. वर्तमान मामले में जिस मुद्दे का जवाब दिए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या निचली अदालत ने समझौतों को बेचने के लिए स्वीकार किया था। साक्ष्य स्टाम्प शुल्क की कम राशि के 2 गुना की दर से जुर्माना लगाने में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता था या निचली अदालत के लिए 10 गुना की दर से जुर्माना लगाना अनिवार्य था।

8. इससे पहले कि हम पक्षों की संबंधित दलीलों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, कर्नाटक स्टाम्प अधिनियम, 1957 के वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देना प्रासंगिक है। धारा 33 प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा करती है कि जिसके पास कानून द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है, वह किसी भी दस्तावेज को जब्त करने के लिए बाध्य है जिस पर उसके अनुसार विधिवत मुहर नहीं लगी है। धारा 33 की उप-धारा (1) इस प्रकार हैः

" 33. उपकरणों की जाँच और ज़ब्त करना। - (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे कानून द्वारा या पार्टियों की सहमति से [2018] 13 एस. सी. आर. प्राप्त करने का अधिकार है।

साक्ष्य और सार्वजनिक पद का प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति, पुलिस के एक अधिकारी को छोड़कर, जिसके समक्ष उसकी राय में प्रभार्य कोई उपकरण, कर्तव्य के साथ, अपने कार्यों के निष्पादन में प्रस्तुत किया जाता है या आता है, यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा दस्तावेज नहीं है।

विधिवत मोहर लगाएँ, उसी को जब्त कर लें। " 9. धारा 34 में यह प्रावधान है कि जिन उपकरणों पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, वे हैं -

सबूत में अक्षम्य। धारा 34 उप-धारा (1) जो सुसंगत है।

वर्तमान मामला इस प्रकार हैः

" 34. जिन उपकरणों पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, वे साक्ष्य में अस्वीकार्य हैं,

आदि। - शुल्क के साथ प्रभार्य किसी भी उपकरण को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

कानून द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए साक्ष्य, या ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी भी सार्वजनिक द्वारा कार्रवाई, पंजीकृत या प्रमाणित किया जाएगा।

अधिकारी, जब तक कि इस तरह के उपकरण पर विधिवत मुहर न लगेः

बशर्ते कि,

(क) इसमें निहित किसी भी बात के लिए यह नहीं समझा जाएगा कि किसी आपराधिक न्यायालय के किसी मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश से दंड संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 21 के तहत किसी कार्यवाही के अलावा किसी अन्य कार्यवाही के दौरान उसके सामने आने वाले किसी भी दस्तावेज की जांच या जब्त करने की आवश्यकता है, यदि वह ऐसा करना उचित नहीं समझता है।

प्रक्रिया, 1898; "

10. धारा 38 उपायुक्त को धन वापसी का अधिकार देती है।

धारा 37 की उप-धारा (1) के तहत भुगतान किया जाता है। धारा 39 जब्त किए गए उपकरणों पर मुहर लगाने की उपायुक्त की शक्ति से संबंधित है। 38 और धारा 39 (1) इस प्रकार हैं:

" 38. उपायुक्त] 1 की जुर्माना वापस करने की शक्ति

धारा 37 की उप-धारा (1) के तहत भुगतान किया गया। - (1) जब एक प्रति

उप के तहत उपायुक्त को एक लिखत भेजी जाती है।

धारा 37 की धारा (1) के अनुसार, यदि वह उचित समझता है, तो वह पाँच रुपये से अधिक के जुर्माने के किसी भी हिस्से को वापस कर सकता है।

इस तरह के उपकरण का सम्मान। (2) जब ऐसे लिखत को केवल इसलिए जब्त किया गया है क्योंकि यह धारा 13 या धारा 14 के उल्लंघन में लिखा गया है, तो 1 [उपायुक्त] 1 इस प्रकार भुगतान किए गए पूरे जुर्माने को वापस कर सकता है।

39. उपकरणों पर मुहर लगाने की उपायुक्त की शक्ति जब्त कर लिया गया। - (1) जब उपायुक्त] 1 धारा 33 के तहत किसी भी लिखत को जब्त करता है, या गंगाप्पा और ए. एन. आर. भेजे गए किसी भी लिखत को प्राप्त करता है।

वी. फकीराप्पा [अशोक भूषण, जे.]

धारा 37 की उप-धारा (2) के तहत उसे, जो एक साधन नहीं है

फसल का बंधक अनुसूची का अनुच्छेद 35 (ए) धारा 3 के खंड (ए) या (बी) के तहत पच्चीस नए शुल्क के साथ प्रभार्य है। इसके अलावा, वह निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगाः

(क) यदि उसकी राय है कि ऐसे लिखत पर विधिवत मुहर लगी है, या वह शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं है, तो वह समर्थन द्वारा प्रमाणित करेगा। उस पर कि उस पर विधिवत मुहर लगी है, या कि वह इतना प्रभार्य नहीं है,

जैसा भी मामला हो;

(ख) यदि उसकी राय है कि ऐसा लिखत शुल्क के साथ प्रभार्य है और उस पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, तो वह उचित शुल्क या उसकी भरपाई के लिए आवश्यक राशि के भुगतान की मांग करेगा, साथ में पांच रुपये का जुर्माना; या यदि वह उचित समझता है; एक राशि जो उचित शुल्क की राशि के दस गुना से अधिक नहीं है।

या उसके कम हिस्से की, क्या ऐसी राशि

पाँच रुपये से अधिक या कमः

बशर्ते कि, जब ऐसे लिखत को केवल इसलिए जब्त किया गया है क्योंकि यह धारा 13 के उल्लंघन में लिखा गया है।

या धारा 14, उपायुक्त, यदि वह उचित समझता है, तो इस धारा द्वारा निर्धारित पूरे जुर्माने को माफ कर सकता है।

11. धारा 34 परंतुक साक्ष्य में स्वीकार करने का प्रावधान करता है

जिस पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, वह शुल्क और जुर्माने के भुगतान पर है। के साथ

घ से दंड कानून में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

" अपर्याप्त रूप से मुहर लगे उपकरण के मामले में, राशि का

पाँच के जुर्माने के साथ इस तरह के कर्तव्य को पूरा करने की आवश्यकता है रुपये, या, जब उचित शुल्क की राशि का दस गुना या

इसका कम हिस्सा पाँच रुपये से अधिक है, जिसके बराबर राशि है -

ऐसे कर्तव्य या भाग का दस गुना; "

12. कानून में यह परिकल्पना की गई है कि जब राशि का 10 गुना

यदि उचित शुल्क या उसका कम हिस्सा पाँच रुपये से अधिक है, तो ऐसे शुल्क या हिस्से के 10 गुना के बराबर जुर्माना है।

13. धारा 34 की भाषा दंड की एक सपाट दर प्रदान करती है।

उचित शुल्क की राशि पाँच रुपये से अधिक है अर्थात शुल्क का 10 गुना

कर्तव्य या भाग। खंड की भाषा में स्पष्ट विरोधाभास है।घ धारा 39। धारा 39 उप-धारा (1) उप-खंड (बी) निकाली गई है।

ईदी संदर्भः

" 39 (1) (ख) यदि उसकी राय है कि ऐसा लिखत शुल्क के साथ प्रभार्य है और उस पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, तो वह उचित शुल्क या उसकी भरपाई के लिए आवश्यक राशि के भुगतान के साथ-साथ पांच रुपये के जुर्माने की मांग करेगा; या यदि वह उचित समझता है; उचित शुल्क की राशि या उसके कम हिस्से की दस गुना से अधिक राशि, चाहे वह राशि पांच रुपये से अधिक हो या कम होः

14. उपरोक्त प्रावधान ने संकेत दिया कि यदि उपायुक्त की राय है कि ऐसा लिखत शुल्क के साथ प्रभार्य है और उस पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, तो पाँच रुपये के जुर्माने के साथ उचित शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। प्रावधान के बाद के भाग में कहा गया है कि "या यदि वह उचित शुल्क की राशि या उसके कम हिस्से के दस गुना से अधिक राशि को उचित नहीं समझता है, तो क्या ऐसी राशि पांच रुपये से अधिक है या उससे कम है"। इस प्रकार, उपायुक्त को विवेकाधिकार प्रदान किया गया है जो "यदि वह उचित समझता है" शब्दों से स्पष्ट है। उपायुक्त को शुल्क की राशि या उसके हिस्से का 10 गुना या उससे कम जुर्माना लगाने का विवेकाधिकार है। साफ है कि धारा 33 और 39 के तहत शक्ति के बीच विरोधाभास। प्रावधान और शक्ति में इस तरह के विरोधाभास का उद्देश्य और उद्देश्य खोजने के लिए दूर नहीं है। धारा 33 कानून द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति और सार्वजनिक पद के प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है। इस प्रकार, धारा 33 में कई अधिकारी शामिल हैं, वे व्यक्ति जिनके समक्ष दस्तावेज दायर किए जाते हैं। विधायी योजना इंगित नहीं करती है

अपर्याप्त रूप से मुहर प्राप्त करने वाले न्यायालय के बीच कोई अंतर

साक्ष्य और अन्य प्राधिकरणों में उपकरण। सभी को शुल्क या घाटे के हिस्से का 10 गुना जुर्माना लगाना पड़ता है, अगर यह पांच रुपये से अधिक है। यह प्रावधान किसी भी न्यायिक प्रक्रिया को लागू किए बिना 10 बार का निश्चित जुर्माना लगाने में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से है। जुर्माने की मात्रा निर्धारित करने के संबंध में। कानून उपायुक्त को विवेकाधिकार देता है जो एक जिले के राजस्व प्रशासन के प्रभारी अधिनियम द्वारा परिकल्पित प्राधिकरण है। उपायुक्त की परिभाषा धारा 2 (डी. डी.) में दी गई है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 2 ((घ) "उपायुक्त" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के ऐसे प्रावधानों के संबंध में ऐसे क्षेत्र का अधिकारी शामिल है जिसे राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे; "गंगाप्पा और ए. एन. आर".।

वी. फकीराप्पा [अशोक भूषण, जे.]

15. धारा 37 के तहत शुल्क और जुर्माने की राशि उपायुक्त को भेजी जानी चाहिए। धारा 37 नीचे उद्धृत की गई हैः

" 37. उपकरणों को जब्त कर लिया गया कि कैसे निपटा जाता है। - (1) जब धारा 33 के तहत किसी लिखत को जब्त करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार रखता है और धारा 34 द्वारा प्रदान किए गए जुर्माने या धारा 36 द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्य के भुगतान पर साक्ष्य में ऐसे लिखत को स्वीकार करता है, तो वह उपायुक्त को लिखित प्रमाण पत्र के साथ ऐसे लिखत की एक प्रमाणित प्रति भेजेगा, जिसमें उसके संबंध में लगाए गए शुल्क और जुर्माने की राशि का उल्लेख होगा और ऐसी राशि उपायुक्त या ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जिसे वह इस संबंध में नियुक्त करे।

(2) हर दूसरे मामले में, वह व्यक्ति जो किसी उपकरण को ज़ब्त करता है

इसे मूल रूप से उपायुक्त को भेजा जाएगा।

16. धारा 38 के तहत उपायुक्त को पांच रुपये से अधिक के जुर्माने के किसी भी हिस्से को वापस करने का अधिकार है।

ज़ब्त करना और कर्तव्य और जुर्माने की प्राप्ति धारा 33 के तहत 10 गुना से कम जुर्माना लगाने के लिए कोई विवेकाधिकार नहीं देती है, हालांकि, जब धारा 38 के प्रावधान को पढ़ा जाता है, तो उपायुक्त को जुर्माना वापस करने के लिए दिया गया विवेकाधिकार धारा 39 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के समान है, जहां जुर्माना निर्धारित करते समय वह 10 गुना से कम जुर्माना लगा सकता है। 17. कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले में उच्च न्यायालय ने दिगंबर वार्टी और अन्य (उपरोक्त) मामलों में धारा 33 और 34 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भरोसा व्यक्त किया

पैराग्राफ 36 में निम्नलिखित हैः

" 36. यह प्रावधान दीवानी न्यायालय की शक्ति को संदर्भित करता है जो दस्तावेजों को साक्ष्य में स्वीकार करता है। मुख्य खंड को नकारात्मक में जोड़ा गया है। जब तक उपकरण पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, यह साक्ष्य में अस्वीकार्य है। एक अपवाद के रूप में, परंतुक में शुल्क और जुर्माने के भुगतान का प्रावधान है। [2018] के संग्रह के मामले में 13 एस. सी. आर.

कर्तव्य और दंड का कोई विवेकाधिकार ऐसे दस्तावेज को साक्ष्य में स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के पास निहित नहीं है। साधन पर देय शुल्क कानून द्वारा निर्धारित किया गया है। इसलिए, शुल्क एकत्र करने के मामले में दस्तावेज़ को जब्त करने के अधिकार के साथ किसी भी विवेक का कोई सवाल ही नहीं है। एक बार जब देय शुल्क का कानून से पता चल जाता है, तो शुल्क और जुर्माना लगाने के मामले में दस्तावेज़ को साक्ष्य में स्वीकार करने वाले प्राधिकरण के पास कोई विवेकाधिकार निहित नहीं होता है। उक्त परंतुक में प्रयुक्त शब्द 'होगा' है। यह अनिवार्य है। हालांकि, धारा 35 यह स्पष्ट करती है कि जहां किसी दस्तावेज को साक्ष्य में स्वीकार करने के समय आपत्ति के बिना साक्ष्य में स्वीकार किया गया है, तो धारा 58 में दिए गए प्रावधान के अलावा, इस तरह के प्रवेश पर उसी मुकदमे या कार्यवाही के किसी भी चरण में इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि दस्तावेज पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है। धारा 58 अधिनियम की धारा 34 के तहत मूल न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की समीक्षा करने के लिए अपीलीय न्यायालय की शक्ति से संबंधित है, या तो स्वतः या उपायुक्त के आवेदन पर। अधिनियम की धारा 36 के प्रवेश से संबंधित है

अनुचित रूप से मुद्रांकित उपकरण। राज्य सरकार यह प्रावधान करते हुए नियम बना सकती है कि, जहां किसी उपकरण पर मुहर लगी हो पर्याप्त राशि लेकिन अनुचित विवरण की, यह भुगतान पर हो सकती है

उस शुल्क का जिसके साथ वह प्रभार्य है, विधिवत मुहर लगाने के लिए प्रमाणित किया जाए, और इस तरह से प्रमाणित किसी भी उपकरण को तब माना जाएगा

इसके निष्पादन की तारीख से विधिवत मुहर लगाई गई है।

18. कर्नाटक उच्च न्यायालय का उपरोक्त दृष्टिकोण है कि दस्तावेज़ को जब्त करने के अधिकार के साथ कोई विवेकाधिकार निहित नहीं है

धारा 33 के तहत शुल्क एकत्र करने का मामला सही है। उक्त परंतुक में प्रयुक्त शब्द 'होगा' है। धारा 33 और 34 स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि लगाया गया जुर्माना 10 गुना होना चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिगंबर वार्टी और अन्य (ऊपर) मामले में अधिनियम की धारा 33 और 34 के प्रावधानों की सही व्याख्या की है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में कोई अपराध नहीं किया है।

दिगंबर वार्टी और अन्य (उपर्युक्त) मामलों में खंड पीठ के निर्णय पर भरोसा करने में त्रुटि। इस प्रकार हमें विवादित निर्णय में व्यक्त उपरोक्त दृष्टिकोण को बनाए रखना होगा। 19. वर्तमान मामले में एक और पहलू है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने देखा है कि भले ही दस्तावेज़ को जब्त करने वाले व्यक्ति द्वारा 10 गुना जुर्माना एकत्र और लगाया जाना है।

धारा 37, धारा 38 डिप्टी कलेक्टर को गंगाप्पा और ए. एन. डी. आर. को वापस करने का अधिकार देती है।

वी. फकीराप्पा [अशोक भूषण, जे.]

कर्तव्य। दो बार की दर से जुर्माना लगाते हुए विद्वान निचली अदालत ने निम्नलिखित कारण दिए हैं:

" ओ. एस. No.863/08 और 864/08 के वादी कृषि करने वाले बताए गए हैं और शेरवाड़ गाँव में रह रहे हैं। उक्त तथ्य का प्रतिवादियों द्वारा खंडन नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि समझौते स्थानीय ग्रामीणों द्वारा तैयार किए गए थे जो अनुभव में नहीं हैं

दस्तावेज़ीकरण। वादियों की स्थिति को देखते हुए, दस्तावेज़ लेखकों की योग्यता रखने का उनका मानक। मेरा मानना है कि आई. एल. आर. 2011 के. ए. आर. 4719 में हमारे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को वर्तमान तथ्यों पर लागू किया जा सकता है और उक्त समझौते के संबंध में 10 गुना जुर्माना लगाने वाली परिस्थितियां वादी पर कठोर होंगी। इसलिए मेरी राय है कि जुर्माने के रूप में घाटे के शुल्क की राशि को दोगुना करने से न्याय के उद्देश्य पूरे होंगे।

दस्तावेजों और जुर्माने के अधिरोपण के कारण, हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि मुकदमा आगे नहीं बढ़ा होना चाहिए था, और यह सीमा स्तर पर होना चाहिए; अपीलार्थी को जुर्माने का 10 गुना जमा करने के लिए कहना और उसके बाद धारा 38 के तहत उप-कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र को जुर्माने की वापसी के लिए बुलाना एक ऐसी कार्यवाही होगी जिसमें फिर से काफी समय लगेगा। वर्तमान मामले के तथ्यों में, हमारा विचार है कि निचली अदालत द्वारा लगाए गए दोहरे जुर्माने के साथ घाटे के शुल्क के भुगतान की पुष्टि करके मामले को समाप्त करने में न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाना चाहिए, जो कमी के लिए उपायुक्त से संपर्क करने की कार्यवाही को बाधित करेगा। धारा 38 के तहत जुर्माना, जो वर्तमान मामले के तथ्यों में और निचली अदालत द्वारा उल्लिखित कारणों के लिए जुर्माना की वापसी/कमी के लिए एक प्रासंगिक विचार था।

21. अतः पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने धारा के प्रावधानों की सही व्याख्या की है।

33 विवादित निर्णय में लेकिन अपीलार्थी को जुर्माने का 10 गुना जमा करने और उसके बाद धारा 38 के तहत सहारा लेने की अनुमति देने वाले मामले को बढ़ाने के बजाय, हम वर्तमान मामले के तथ्यों में पूरे घाटे के शुल्क के भुगतान और जुर्माने को दोगुना करने के लिए निचली अदालत के निर्देश को मंजूरी देकर बेचने के समझौतों पर जुर्माने से संबंधित कार्यवाही को बंद कर देते हैं।

22. अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अपील का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे